

अध्याय-III

अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय-III

अनुपालन लेखापरीक्षा

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

3.1 बिहार महादलित विकास मिशन की कार्यप्रणाली

3.1.1 परिचय

भारत के संविधान¹¹⁰ ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अ.जा. और अ.ज.जा.) समुदायों को समाज की मुख्य धारा में लाने पर विशेष बल दिया है। अनुसूचित जातियों के एक वर्ग, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, को बिहार में महादलित (अनुसूचित जाति के कुल सूचीबद्ध 23 जातियों में से 21 जातियाँ) माना गया है। 2001 की जनगणना और राज्य महादलित आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, महादलित की आबादी राज्य की कुल आबादी (8.30 करोड़) का 10.83 प्रतिशत (0.90 करोड़) है। महादलितों की शैक्षिक और सामाजिक स्थिति के उत्थान के माध्यम से महादलित समुदाय के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए, बिहार महादलित विकास मिशन (बि.म.वि.मि.) की स्थापना (अप्रैल 2008) अ.जा. एवं अ.ज.जा. कल्याण विभाग, बिहार सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक पंजीकृत समिति¹¹¹ के रूप में बिहार सरकार (बि.स.) द्वारा की गई थी। बि.म.वि.मि. का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर महादलित परिवारों को लक्षित करके चलाई जा रही सरकारी योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन को सुगम बनाना था।

3.1.2 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

बि.म.वि.मि. (राज्य मिशन कार्यालय) के मई 2017 से मई 2019 तक की अवधि के लिए लेखाओं की लेखापरीक्षा जून 2019 एवं अगस्त–सितंबर 2019 की अवधि के दौरान की गई थी।

3.1.3 वित्तीय प्रबंधन

बि.म.वि.मि. के अभिलेखों की जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने बि.म.वि.मि. के वित्तीय प्रबंधन में गंभीर त्रुटियाँ पायी जिसे आगे की कंडिकाओं में वर्णित किया गया है:

3.1.3.1 बैंक खातों का संचालन

बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 349 में संशोधन से संबंधित जुलाई 2014 और अप्रैल 2015 में वित्त विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार राज्य सरकार के सभी बोर्डों, प्राधिकरणों, एजेंसियों, समितियों आदि को कोषागार में व्यक्तिगत खाता (पी. एल. खाता) खोलना अपेक्षित था। उन्हें बैंक में पी.एल.खाते की राशि का अधिकतम 20 प्रतिशत रखने की अनुमति दी गयी थी, जिसका उपयोग आवश्यकतानुसार ठेकेदारों को तत्काल भुगतान के लिए किया जाना था। इसके अलावा वित्त विभाग द्वारा अगस्त 2015 में जारी निर्देशों के अनुसार, सरकारी एजेंसी के कारोबार का कोई भी प्राधिकार निजी क्षेत्र के बैंकों को नहीं दिया जाना था।

बि.म.वि.मि. से संबंधित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि उनके द्वारा पी.एल. खाते के अतिरिक्त 2017–18 में 15 बैंक खातों और 2018–19 में 13 बैंक खातों का संचालन किया गया था। ये बैंक खाते बिना ठेकेदारों को तत्काल भुगतान की आवश्यकता के

¹¹⁰ अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 46

¹¹¹ सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 21 के अंतर्गत

संचालित किए जा रहे थे (क्योंकि बि.म.वि.मि. के द्वारा सभी योजनाओं को विभागीय रूप से निष्पादित किया जा रहा था) (**परिशिष्ट 3.1.1 अ तथा परिशिष्ट 3.1.1 ब**)। बि.म.वि.मि. के पास 2018–19 में उपलब्ध कुल निधि का 32 प्रतिशत इन बैंक खातों में था। 13 बैंक खातों में से एक खाता निजी बैंक (एच.डी.एफ.सी, शाखा: बोरिंग रोड, पटना) में था।

कई बैंक खाते खोलने के विषय को अप्रैल 2015 से अप्रैल 2017 तक की अवधि की पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित करने के बावजूद, इन खातों को बंद करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया था। कई खातों के संचालन में निधियों के दुरुपयोग का जोखिम होता है। जवाब में विभाग ने कहा (अक्टूबर 2020) कि मिशन कार्यालय अब केवल नौ बैंक खातों का संचालन कर रहा था और शेष बैंक खातों को बंद करने के लिए नियमित प्रयास किए जा रहे थे।

3.1.3.2 बैंक खातों का रोकड़ बही के साथ मिलान

वित्त विभाग, बिहार सरकार ने नवंबर 2018 के अपने पत्र द्वारा रोकड़ बही की शेष राशियों का बैंक शेषों के साथ मासिक समाधान की आवश्यकता पर बल दिया था। इसके अलावा, बि.म.वि.मि. के बाईलॉज के अनुसार, सदस्य सचिव सह परियोजना निदेशक खातों के संचालन, मासिक लेनदेन और मासिक प्राप्ति एवं व्यय विवरण के सत्यापन के लिए उत्तरदायी थे, जिसे आवश्यकतानुसार कार्यकारी समिति के समक्ष रखा जाएगा।

बि.म.वि.मि. के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि रोकड़ बही के अंतशेष का समाधान बैंक खातों के साथ नहीं किया गया था और बि.म.वि.मि. के द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं किया गया था। बैंक और रोकड़ बही शेषों के समाधान नहीं किए जाने से निम्नलिखित तथ्यों का पता चला:

- इलाहाबाद बैंक, पटना शाखा में बि.म.वि.मि. के एक बचत खाते से उपलब्ध राशि ₹37.60 लाख की निकासी के पश्चात् खाते को दिनांक 08/03/2017 को बंद कर दिया गया था। हालाँकि, इस राशि का अग्रेतर उपयोग अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। लेखापरीक्षा में इंगित करने पर बि.म.वि.मि. के द्वारा ₹37.60 लाख की राशि, जो कि माँग पत्र के रूप में थी, का पता लगाया गया एवं दो साल और 10 महीने (जनवरी 2020) के बाद अपने बैंक खाते में जमा किया गया।
- मध्य बिहार ग्रामीण बैंक (म.बि.ग्रा.बै.), कंकड़बाग, पटना (खाता संख्या 73212100011655) और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक (उ.बि.ग्रा.बै.), मुजफ्फरपुर (खाता संख्या 1000011030004078) द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक विवरणियों के अनुसार, क्रमशः सितंबर 2016 और जुलाई 2019 के बाद से इन खातों की शेष राशि 'शून्य' थी। हालाँकि, रोकड़ बही में क्रमशः ₹99.73 लाख और ₹49.05 लाख की राशि इन खातों (मई 2019) में शेष के रूप में दर्ज की गयी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बि.म.वि.मि. के द्वारा ₹35.00 करोड़ की निधियों का हस्तांतरण (सितंबर 2013 से मार्च 2015) म.बि.ग्रा.बै. (₹30.00 करोड़) और उ.बि.ग्रा.बै. (₹5.00 करोड़) को सचिव, अ. जा. और अ.ज.जा. कल्याण विभाग के नेतृत्व में संचालित संयुक्त देयता समूह (जे.एल.जी.) के अंतर्गत प्रत्येक पात्र लाभार्थी को बैंक-एंड सब्सिडी के रूप में ₹10,000 प्रति लाभार्थी भुगतान किया गया था। बि.म.वि.मि. को इन बैंकों को प्रदत्त

निधियों के उपयोगिता की निगरानी करना था। किन्तु, बि.म.वि.मि. बैंकों से ₹99.73 लाख (म.बि.ग्रा.बै.) और ₹50.00 लाख (उ.बि.ग्रा.बै.) की रोकड़ बही (मई 2019) में उक्त राशि को संबंधित बैंकों के पास शेष के रूप में दिखाया गया। मिशन निदेशक, बि.म.वि.मि. ने जवाब दिया (अक्टूबर 2020) कि संबंधित बैंकों से राशि की उपयोगिता के बारे में पूछा जा रहा है। इस प्रकार, निधियों के संवितरण के पाँच साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी बि.म.वि.मि. को बैंकों से ₹1.49 करोड़ की उपयोगिता प्राप्त करना शेष था जो बि.म.वि.मि. के वित्तीय प्रबंधन के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं।

- बि.म.वि.मि. के अभिलेखों के अनुसार, दो बैंक खाते (एच.डी.एफ.सी. खाता सं. 50100132779273 और कॉर्पोरेशन बैंक खाता सं. 520101067608740) 2017–18 के पूर्व ही बंद कर दिए गए थे लेकिन बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरणियों के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2019 को इन बैंकों में शेष के रूप में ₹12.85 लाख पाये गये। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जुलाई 2017 में बैंकों को कलोजर पत्र भेजने के बाद बि.म.वि.मि. द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी। जवाब में बि.म.वि.मि. ने कहा (अक्टूबर 2020) कि अग्रेतर कार्रवाई हेतु बैंकों से अद्यतन विवरणी की माँग की गयी है।
- यह भी पाया गया कि 2017–19 के दौरान बैंक खातों में अर्जित ₹8.65 करोड़ के ब्याज की प्रविष्टि रोकड़ बही में एक से 14 महीने के विलंब से किया गया था। इसके अलावा, ₹2.22 करोड़ के ब्याज की राशि के प्रविष्टि रोकड़ बि.म.वि.मि.बही (परिशिष्ट-3.1.2) में नहीं पायी गयी। इंगित करने पर मिशन निदेशक, बि.म.वि.मि. ने बताया (अक्टूबर 2020) कि रोकड़ बही में ₹2.22 करोड़ के ब्याज की राशि दर्ज कर ली जाएगी।

बैंक शेष का रोकड़ बही शेष के साथ मिलान नहीं किया जाना धोखाधड़ी और गबन के जोखिम से परिपूर्ण था।

3.1.3.3 खातों का रखरखाव

बि.म.वि.मि. के उप-नियमों की कंडिका 16 (1) के अनुसार, राज्य समिति को लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली का पालन करना था तथा प्राप्ति और भुगतान खाता, आय और व्यय खाता और बैलेंस शीट तैयार करना था, जिसका चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा अंकेक्षण किया जाना था। बि.म.वि.मि. का आंतरिक अंकेक्षण करने के लिए एक अंकेक्षक को, जो वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण करने वाले से भिन्न हो, के नियुक्त किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2017–19 के दौरान बि.म.वि.मि. की रोकड़बही का संधारण लेखाओं के एकल प्रविष्टि प्रणाली में की गयी थी और अंतिम खातों जैसे— प्राप्ति और भुगतान खाता, आय और व्यय खाता और बैलेंस शीट तैयार एवं संधारण नहीं किया गया था। रोकड़ बही को मासिक रूप से बंद और समाधानित नहीं किया गया था जो कि बिहार वित्तीय नियमों के तहत आवश्यक था। रोकड़ बही के अंतशेष का समाधान भी बैंक खातों (31 मार्च 2019 को) के साथ नहीं किया गया था और बैंक का अंतशेष रोकड़ बही के अंतशेष से ₹26.87 करोड़ (परिशिष्ट-3.1.1 अ) अधिक था। इसके अतिरिक्त, रोकड़ बही में अंतशेष का विश्लेषण भी नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में बि.म.वि.मि. निधि के गलत इस्तेमाल के जोखिम से परिपूर्ण थी।

विभाग ने उत्तर (अक्टूबर 2020) दिया कि रोकड़ बही का संधारण दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में किया गया था और 2017–19 के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता, आय और व्यय खाता और बैलेंस शीट का संधारण किया गया था। उत्तर सही नहीं है। लेखापरीक्षा में प्रस्तुत की गयी रोकड़ बही का संधारण एकल प्रविष्टि प्रणाली में की गयी थी और कई स्मार पत्र जारी करने के बाद भी सहायक अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

3.1.3.4 बजट प्रबंधन

बिहार बजट नियमावली के प्रावधान के अनुसार, नियंत्री अधिकारी को यह देखने के लिए संवितरण अधिकारी से प्राप्त बजट की जाँच करनी चाहिए कि वे औपचारिक रूप से सही हैं, सभी विवरण और स्पष्टीकरण (जहाँ आवश्यक हो) दिए गये हैं और यह स्पष्टीकरण (जहाँ भी दिए गये हैं) पर्याप्त है। यदि अपर्याप्त है, तो बजट प्रावधान को बदल दिया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि जिला/प्रखंड स्तर के कार्यालयों से बि.म.वि.मि. द्वारा बजटीय आवश्यकताओं की माँग नहीं की गई (2016–19) और बजट पिछले वर्ष में किए गए व्यय के आधार पर ही तैयार किया गया था। विभाग ने कहा कि मिशन कार्यालय ने डीपीओ के साथ आयोजित समीक्षा बैठकों के आधार पर बजट अनुमान तैयार किया था। किन्तु, मिशन कार्यालय में डी.पी.ओ. द्वारा प्रस्तुत निधि की आवश्यकताओं से संबंधित कोई भी दस्तावेज का साक्ष्य लेखापरीक्षा में नहीं दिखाया गया।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2017–18 के दौरान, बजटीय प्रावधान (3 मई 2017) अ.जा. एवं अ.ज.जा. कल्याण विभाग द्वारा बि.म.वि.मि. से बजट प्रस्ताव की प्राप्ति (15 मई 2017) से पूर्व ही कर लिया गया था, जो यह दर्शाता है कि अ. जा. एवं अ. ज.जा. कल्याण विभाग द्वारा बजट पहले से ही निर्धारित कर लिया गया था। बि.म.वि.मि. के बजट और व्यय का विवरण इस प्रकार था:

**तालिका सं.-3.1.1:
बिहार महादलित विकास मिशन के बजट एवं खर्च का विवरणी**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	शीर्ष	प्राप्त अनुदान	व्यय	अंतर
1.	2016–17	वेतन	1.30	1.30	शून्य
		संपत्तियों का निर्माण	80.00	67.56	12.44
		वेतन के अलावा	169.00	169.00	शून्य
2.	2017–18	वेतन	1.30	1.30	शून्य
		संपत्तियों का निर्माण	105.00	62.78	42.22
		वेतन के अलावा	169.00	169.00	शून्य
3.	2018–19	वेतन	1.30	1.30	शून्य
		संपत्तियों का निर्माण	126.00	126.00	शून्य
		वेतन के अलावा	181.20	179.17	2.03
कुल			834.10	777.41	56.69

उत्तर में, विभाग ने उपरोक्त तथ्यों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2020) और कहा कि केवल ₹56.69 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र 2016–19 की अवधि के लिए लंबित है और उनके प्रस्तुतीकरण के लिए स्मारपत्र जारी किए गए थे।

3.1.4 मानव संसाधनों की महत्वपूर्ण कमी

लेखापरीक्षा में जिला/प्रखंड स्तर पर संस्थीकृत कार्य बल और कार्यरत बल के बीच महत्वपूर्ण कमी देखी गयी जैसा कि नीचे दिया गया है:

तालिका सं.-3.1.2:
अक्टूबर 2019 तक स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल की स्थिति

क्र. सं.	कार्यालय	स्वीकृत पद	कार्यरत बल	रिक्ति
1	राज्य मिशन कार्यालय	30	21	09 (30 प्रतिशत)
2	जिला मिशन कार्यालय	304 ¹¹²	45	259 (85 प्रतिशत)
3	ब्लॉक मिशन कार्यालय	1068 ¹¹³	0	1068 (100 प्रतिशत)
कुल		1402	66	1336

(स्रोत: बि.म.वि.मि. द्वारा प्रदान किये गये आँकड़े)

जिला और प्रखंड स्तर पर मिशन कार्यालयों को कार्यालय के लिए समर्पित अधिकारियों की अध्यक्षता में नेतृत्व नहीं किया जा रहा था। जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों/प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों के कर्तव्यों का निर्वहन जिला कल्याण पदाधिकारियों¹¹⁴ (जि.क.पदा.)/प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों (प्र..क.पदा.) द्वारा किया जा रहा था। बि.म.वि.मि. की स्थापना (2008) के बाद से जिला परियोजना अधिकारियों के सभी 38 महत्वपूर्ण पदों के साथ हीं अधीनस्थ कर्मचारियों के 221 पद खाली थे। इसके अतिरिक्त, जिला स्तर पर केवल 45 सहायक—सह—डाटा इंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की गयी थी। मानवबल की कमी एवं अन्य कार्यालयों पर निर्भरता ने बि.म.वि.मि. के कामकाज और इसके द्वारा जिला और प्रखंड स्तर पर निष्पादित योजनाओं को प्रभावित किया।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2020) कि मानव संसाधन नीति तैयार की जा रही थी।

मिशन द्वारा विकास मित्रों¹¹⁵ की भी नियुक्ति की गयी, जिन्हें जिला कल्याण पदाधिकारी—सह—जिला परियोजना पदाधिकारी और प्रखंड कल्याण पदाधिकारी—सह—प्रखंड परियोजना पदाधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करना था और वे कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण के लिए छात्रों के संग्रहण और मिशन के द्वारा ग्रामीण स्तर पर निर्मित सामुदायिक भवनों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार थे। बि.म.वि.मि. द्वारा 11763 पंचायतों/शहरी वार्डों (पंचायत—8386, शहरी वार्ड —3377) की आवश्यकता के लिए 9540 विकास मित्र (मार्च 2019) नियुक्त किये गये थे और 2016–19 तक की अवधि में उन्हें ₹348.45 करोड़ मानदेय के रूप में भुगतान किया गया था।

3.1.5 अप्रभावी निरीक्षण

आम सभा और कार्यकारी समिति की बैठकें क्रमशः वर्ष में कम से कम दो बार और तीन महीने में कम से कम एक बार आयोजित की जानी थीं। कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन, अंकेक्षित वार्षिक लेखे और अंकेक्षण प्रतिवेदन को आम सभा की वार्षिक बैठक (हर वर्ष 30 जून से पहले) के समक्ष रखा जाना था और इन प्रतिवेदनों की अनुमोदित प्रति बिहार सरकार को और रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज, बिहार को भी हर साल 30 जून तक या जैसा कानून द्वारा आवश्यक हो, भेजी जानी थी।

¹¹² जिला परियोजना पदाधिकारी (38), लेखापाल (38), भंडार रक्षक (38), सहायक—सह—डाटा इंट्री ऑपरेटर (76), चालक (38), चपरासी (38) और रात्रि प्रहरी (38)।

¹¹³ प्रखण्ड परियोजना पदाधिकारी (534) और लिपिक—सह—लेखापाल (534)।

¹¹⁴ अनु. जाति और अनु. जनजाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार

¹¹⁵ साक्षात्कार के आधार पर महादलित समुदायों के बीच से चयन किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आम सभा की अंतिम बैठक जून 2016 में हुई थी। 2016–19 के दौरान, वार्षिक बजट/कार्य योजना न तो आम सभा द्वारा अनुमोदित किया गया था और न ही राज्य सरकार और रजिस्ट्रार ॲफ सोसायटीज, बिहार को भेजा गया था। अतः, बि.म.वि.मि., जैसा कि परिकल्पित किया गया था, अपने कुशल कामकाज के लिए समग्र योजना मार्गदर्शन के साथ–साथ दिशा–निर्देशों का लाभ नहीं प्राप्त कर सका। इस संबंध में पूछे जाने पर विभाग ने बताया (अक्टूबर 2020) कि आमसभा की बैठक जल्द आयोजित की जाएगी।

आगे यह पाया गया कि 2016–19 के दौरान कार्यकारी समिति की 12 बैठकों के स्थान पर केवल पाँच बैठकें हुईं। इस अवधि में राज्य समिति के खातों के अंकेक्षण के लिए अंकेक्षकों की नियुक्ति नहीं की गयी थी। विभाग ने जवाब दिया (अक्टूबर 2020) कि वार्षिक खातों के अंकेक्षण की प्रक्रिया चल रही थी।

3.1.6 अनुश्रवण

जिला महादलित मिशन समिति जिलाधिकारी की अध्यक्षता और सदस्य सचिव जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं 11 अन्य सदस्यों¹¹⁶ सहित प्रत्येक जिले में गठित किया जाना था। समिति जिला महादलित मिशन कार्यालय के मामलों का संचालन करने के लिए सभी सलाहकारी, कार्यकारी और वित्तीय शक्ति के साथ महादलितों से संबंधित जिले के कार्यों और मामलों को नियंत्रित और प्रबंधित करने के लिए जिम्मेवार थी। इसी प्रकार, प्रत्येक प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में, प्रखंड परियोजना पदाधिकारी (बी.पी.ओ.), सदस्य सचिव के रूप में तथा छः¹¹⁷ अन्य सदस्यों के साथ महादलितों से संबंधित प्रखंड के कार्यों और मामलों के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए प्रखंड महादलित मिशन समिति का गठन किया जाना था। इन समितियों को क्रमशः जिलों और प्रखंडों के लिए वार्षिक बजट/कार्य योजना तैयार करनी थी और मिशन द्वारा संचालित योजनाओं का अनुश्रवण/मूल्यांकन करना था। किन्तु, बहिर्गमन सम्मेलन में मिशन निदेशक ने जवाब दिया कि इन समितियों का गठन नहीं किया गया था।

जिला महादलित मिशन समिति, प्रखंड महादलित मिशन समिति, कॉल सेंटर की सलाहकार समिति, सामुदायिक भवन के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर रखरखाव समिति की गैर–स्थापना, आम सभा की बैठकों का गैर–आयोजन, कार्यकारी समिति की कम संख्या में बैठकें आयोजित करने, बि.म.वि.मि. के जिला और प्रखंड स्तर के कार्यालयों में कर्मचारियों की कुल रिक्ति और परिणामतः जिला और प्रखंड स्तर के कार्यालयों की स्थापना नहीं होने से अनुश्रवण कार्य और बि.म.वि.मि.के क्रियाकलापों से संबंधित ऐसे पहलू प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए जैसा कि पूर्व की कंडिकाओं में उल्लेख किया गया है।

विभाग ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2020) कि सामुदायिक भवन और अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी जिला पदाधिकारियों के माध्यम से प्राप्त हुई थी। राज्य मिशन कार्यालय में बैठकों और वीडियो कॉन्फ्रॉन्सिंग के माध्यम से भी अनुश्रवण किया गया।

¹¹⁶ डी.डी.सी., डी.एस.ई., कार्यकारी अभियंता, पी.एच.ई.डी., जिला कृषि पदाधिकारी, सिविल सर्जन, श्रम अधीक्षक, जीएम, जिला उद्योग केंद्र, जिला पशुपालन अधिकारी, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आइ.सी.डी.एस., जिला कल्याण पदाधिकारी।

¹¹⁷ अंचलाधिकारी, सी.डी.पी.ओ., प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, महिला प्रसार पदाधिकारी/प्रसार पदाधिकारी।

3.1.7 योजनाओं का क्रियान्वयन

बि.म.वि.मि. द्वारा निम्नलिखित पाँच¹¹⁸ प्रमुख योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया था और 2016–19 के दौरान उन पर प्राप्तियों और व्यय का विवरण नीचे दिया गया है। लेखापरीक्षा में बि.म.वि.मि. के क्रियाकलाप की जाँच दशरथ मांझी कौशल विकास योजना के क्रियान्वयन और सामुदायिक भवन—सह—वर्कशेड के निर्माण के संबंध में की गई। संबंधित अवलोकन आगे की कंडिकाओं में दिए गये हैं:

तालिका सं.—3.1.3
2016–19 के दौरान योजनावार प्राप्ति और व्यय की स्थिति

(₹करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2016–17		2017–18		2018–19		कुल प्राप्ति	कुल व्यय
		प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय		
1	सामुदायिक भवन—सह—वर्कशेड	80.00	67.56	105.00	62.78	126.00	126.00	311.00	256.34
2	विकास मित्रों को मानदेय	118.54	113.19	128.43	96.33	118.50	138.93	365.47	348.45
3	आवासीय विद्यालय—सह—छात्रावास (नारी गुंजन प्रेरणा)	1.28	0.42	1.28	0.56	1.28	1.35	03.84	02.33
4	सहायता कॉल सेंटर	0.15	0.07	0.25	0.04	0.25	0	0.65	0.11
5	दशरथ मांझी कौशल विकास योजना	7.30	0	0	0	7.38	0.82	14.68	0.82
	कुल	207.27	128.29	234.96	138.55	253.41	223.19	695.64	608.05

टिप्पणी: रोकड़ बही अंतर्शेष का विश्लेषण तैयार नहीं किया गया था और रोकड़ बही में अंकित नहीं किया गया था। इस प्रकार, योजनावार राशियों का अंतर्शेष सुनिश्चित नहीं किया जा सका जैसा कि पहले की कंडिका 3.1.3.2 में वर्चा की गयी है।

3.1.7.1 दशरथ मांझी कौशल विकास योजना (द.मा.कौ.वि.यो.)

(द.मा.कौ.वि.यो.) की शुरुआत (2010) महादलित समुदाय को निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से की गई थी विशेष रूप से उनकी सांस्कृतिक परंपरा के साथ—साथ युवाओं की रुचि के अनुसार तैयार की गयी हो और जिससे उन्हें रोजगार प्रदान करने से आर्थिक स्थिति में सुधार हो। बाद में (मई 2018), योजना के लाभ का विस्तार अ.जा. और अ.ज.जा. समुदाय के तहत सभी उप—जातियों को दिया गया।

बिहार कौशल विकास मिशन (बि.कौ.वि.मि.) को जनवरी 2017 से बिहार में सभी कौशल विकास प्रशिक्षणों के लिए राज्य सरकार द्वारा नोडल एजेंसी घोषित किया गया था और इस तरह के प्रशिक्षण बि.कौ.बि.नि. द्वारा बि.म.वि.मि. को उपलब्ध कराई गई प्रशिक्षण एजेंसियों¹¹⁹ के द्वारा दिए जाने थे। ये प्रशिक्षण एजेंसियाँ बि.म.वि.मि. के समग्र पर्यवेक्षण/निर्देशों के तहत पात्र उम्मीदवारों के सर्वेक्षण, संग्रहण, प्रशिक्षण, प्लेसमेंट और पोस्ट प्लेसमेंट ट्रैकिंग के लिए जिम्मेदार थीं।

प्रशिक्षण बैच शुरू करने के लिए प्रशिक्षण एजेंसियों को बि.कौ.वि.मि. पोर्टल पर छात्रों (बैच वार) का विवरण डालना आवश्यक था। बि.म.वि.मि. से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उन

¹¹⁸ दशरथ मांझी कौशल विकास योजना, सामुदायिक भवन—सह—वर्कशेड योजना, विकास मित्र, आवासीय विद्यालय—सह—छात्रावास और सहायता कॉल सेंटर। इसके अतिरिक्त विद्यालय—सह—छात्रावास (नारी गुंजन प्रेरणा छात्रावास) पटना और गया जिले में बि.म.वि.मि. द्वारा संचालित किये जा रहे हैं।

¹¹⁹ बि.कौ.वि.मि. पोर्टल पर अपलोडेड ऑनलाइन आवेदनों में से बि.कौ.वि.मि. के द्वारा चयनित और पंजीकृत और बि.कौ.वि.मि. की जिला मिशन टीम द्वारा उनकी आधारभूत संरचना (आवेदन के साथ अपलोडेड) के भौतिक सत्यापना के पश्चात्।

एजेंसियों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाना था। प्रशिक्षण एजेंसियों को भुगतान चरणवार¹²⁰ तरीके से नेफट के माध्यम से छात्रों की संख्या और बि.कौ.वि.मि. के अनुमोदित लागत और मानदंडों के अनुसार किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बि.कौ.वि.नि. के नाम को नोडल एजेंसी के रूप में अंतिम रूप देने (जनवरी 2017) में प्रक्रियात्मक देरी और बि.कौ.वि.नि. द्वारा बि.म.वि.मि. को प्रशिक्षण एजेंसियों की सूची प्रदान करने में अनुवर्ती विलंब (मार्च 2017 के बाद) के कारण 2016–17 में द.मां.कौ.वि.यो. के तहत कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

इसके अलावा, यह पाया गया कि 2017–19 के दौरान द.मां.कौ.वि.यो. के तहत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बि.म.वि.मि. को प्रदान की गई 118 प्रशिक्षण एजेंसियों में से 109 प्रशिक्षण एजेंसियों की सेवाएँ, 103 एजेंसियों द्वारा छात्रों का प्रशिक्षण हेतु संग्रहण न किए जाने के कारण और बि.म.वि.मि. द्वारा छह एजेंसियों का प्रदर्शन खराब पाए जाने के कारण, बि.कौ.वि.मि. को वापस कर दी गयी। इस प्रकार, बि.म.वि.मि. के पास केवल नौ प्रशिक्षण एजेंसियाँ (अक्टूबर 2019) ही बची थीं।

पुनः, लेखापरीक्षा में उद्घाटित हुआ कि 2017–19 के दौरान अ.जा. और अ.ज.जा.कल्याण विभाग द्वारा तय किये गये 11,000 उम्मीदवारों के कुल लक्ष्य में से केवल 340 उम्मीदवारों (3.09 प्रतिशत) को नामांकित किया गया था जिसमें से 102 प्रशिक्षु ₹82.29 लाख (5.6 प्रतिशत) के व्यय के पश्चात् अपना प्रशिक्षण पूरा कर सके। इसके अलावा, केवल 65 प्रशिक्षुओं को ही नौकरी मिल सकी। इस प्रकार, प्रशिक्षण एजेंसियाँ एकराननामे के अनुसार शेष 37 प्रशिक्षुओं के नौकरी को सुनिश्चित नहीं कर सकीं और न ही बि.म.वि.मि. ने इस संबंध में कोई प्रयास किया। पूछे जाने पर बि.म.वि.मि. ने बताया कि जैसा कि प्रशिक्षण एजेंसियों द्वारा बताया गया, छात्रों के गैर–संग्रहण का कारण उनके संबंधित क्षेत्रों में महादलितों की कम आबादी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि योजना का लाभ अ.जा. और अ.ज.जा. समुदाय (मई 2018) के तहत सभी उप–जातियों को दे दिया गया था और जवाब बि.म.वि.मि. द्वारा लक्ष्य के अवास्तविक निर्धारण को भी प्रतिबिंबित करता था।

इसके अलावा, नामांकित उम्मीदवारों की तुलना में प्रशिक्षण पूरा करने वाले उम्मीदवारों की कम संख्या के बारे में बि.म.वि.मि. ने बताया (अक्टूबर 2020) कि यह छात्रों द्वारा (64 छात्रों) मूल्यांकन परीक्षा के गैर निर्गम/उपरिथित मानदंडों के गैर पालन और उनके खराब प्रदर्शन के कारण (174 छात्रों) प्रशिक्षण के मध्य संस्थानों का बंद होना इत्यादि था।

इस प्रकार, पात्र प्रशिक्षण एजेंसियों की कम उपलब्धता और बि.म.वि.मि. द्वारा प्रशिक्षण एजेंसियों को छात्रों के सर्वेक्षण और संग्रहण की जिम्मेवारी सौंपने के कारण द.मां.कौ.वि.योजना महादलित समुदायों के आर्थिक सुधार के लिए निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकीं।

3.1.7.2 सामुदायिक भवन–सह–वर्कशेड

बि.म.वि.मि. द्वारा सामुदायिक भवन–सह–वर्कशेड का निर्माण (तीन/चह दोस्री 2010–16 और बाद में क्रमशः) महादलित केंद्रित ग्राम पंचायतों में (अ. जा. और अ. ज.जा. समुदाय के तहत सभी उप–जातियों को मई 2018 से), उनके त्योहारों और अन्य सांस्कृतिक, सामाजिक और रचनात्मक गतिविधियों को मनाने के लिए एक सामुदायिक स्थान प्रदान करने के लिए किया जाना था।

¹²⁰ 30 प्रतिशत— पाठ्यक्रम की अवधि के 1/3 तक पूरा होने पर, 50 प्रतिशत— अंतिम मूल्यांकन पास करने पर, 10 प्रतिशत— न्यूनतम 50 प्रतिशत बैच के प्लेसमेंट पर और शेष 10 प्रतिशत— 12 महीनों के बाद ट्रैकिंग पूर्णता और अनुपालन पर।

सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए भूमि का चयन जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तर पर गठित छह सदस्यीय समिति¹²¹ द्वारा किया जाना था। विकास मित्र 2015–16 तक सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए अभिकर्ता थे और उसके बाद जिला कल्याण पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में स्थानीय क्षेत्र इंजीनियरिंग संगठन¹²² (एल.ए.इ.ओ.) को अभिकर्ता बनाया गया था।

दिशा-निर्देशों के अनुसार, ग्राम स्तर पर सामुदायिक भवन के रख-रखाव के लिए एक पाँच सदस्यीय रखरखाव समिति¹²³ का गठन ग्राम पंचायत के मुखिया की अध्यक्षता में और विकास मित्र, सदस्य सचिव के रूप में किया जाना था। इसके अलावा, सामुदायिक भवन के उपयोग जैसे-विवाह समारोह के लिए हॉल की बुकिंग, उपलब्ध सामग्री के लेनदेन और वित्तीय कार्यों के निष्पादन के अनुश्रवण के लिए एक विनियमन, दिशा-निर्देशों की पुस्तिका तैयार की जानी थी। सामुदायिक भवनों के निर्माण की धीमी प्रगति, उपयोगिता प्रमाण पत्र न जमा करने, इन भवनों के खराब रखरखाव आदि से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों के बारे में नीचे वर्णन किया गया है:-

सामुदायिक भवन के निर्माण में देरी

2016–19 के दौरान जिलों को ₹141.21 करोड़ के कुल आवंटन के विरुद्ध सामुदायिक भवन के निर्माण का लक्ष्य 916 था। यद्यपि, ₹32.57 करोड़ (23.06 प्रतिशत) के व्यय के पश्चात् केवल 147 भवन (16.05 प्रतिशत) पूरा किया जा सका और 161 भवन (17.58 प्रतिशत) का निर्माण कार्य प्रगति पर था (जनवरी 2020)। शेष 608 सामुदायिक भवन से संबंधित कार्य विभिन्न कारणों¹²⁴ से शुरू नहीं हुए थे। लेखापरीक्षा में देखा गया कि जिलों को अनुदान का आवंटन जिला पदाधिकारी द्वारा भूमि के चयन के पश्चात् ही किया जाना था। भूमि चयन प्रक्रिया में (226 मामलों में) भी खामियाँ थीं। बि.म.वि.मि. द्वारा सामुदायिक भवन के निर्माण में देरी के लिए कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा नहीं किया जाना

₹141.21 करोड़ के कुल आवंटन में से ₹ 7.77 करोड़ (5.50 प्रतिशत) का उपयोगिता प्रमाण पत्र एल.ए.इ.ओ. से जनवरी 2020 तक प्राप्त हुआ था, जो बि.म.वि.मि. के अपर्याप्त अनुश्रवण का द्योतक था। इसके अलावा, बि.म.वि.मि. द्वारा सामुदायिक भवनों के उपयोग के अनुश्रवण के लिए विनियमन पुस्तिका तैयार नहीं की गयी थी और यह सामुदायिक भवनों के उपयोग की स्थिति से भी अनभिज्ञ थी। पूछे जाने पर मिशन निदेशक ने जवाब दिया कि इस संबंध में जानकारी एकत्र करने के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र जारी किया गया था और जानकारी प्राप्त होने के बाद संकलित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाएगा।

¹²¹ जिला परियोजना पदाधिकारी-सह-जिला कल्याण पदाधिकारी— सदस्य सचिव, एडीएम, भू-राजस्व, जिला पदाधिकारी द्वारा नामित कार्यकारी अभियंता, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, प्र. वि. पदा।।

¹²² योजना और विकास विभाग, बिहार सरकार का एक कार्यालय।

¹²³ ग्राम सेवक, टोला सेवक, मुखिया द्वारा नामित महादलित समुदाय का एक वरीय नागरिक।

¹²⁴ भूमि के चयन में देरी (130 मामले), भूमि विवाद (40 मामले), भूमि का अतिक्रमण (13 मामले), भूमि की अनुपलब्धता, कम भूमि या अनुचित भूमि (43 मामले), निविदा, पुनः निविदा और एकरारनामे में देरी आदि (32 मामले)।

सामुदायिक भवनों का रख-रखाव नहीं किया जाना

किसी भी जिले में सामुदायिक भवन के रख-रखाव के लिए न तो धन का प्रावधान किया गया और न ही ग्राम स्तर पर मुखिया की अध्यक्षता में रख-रखाव समिति का गठन किया गया। परिणामस्वरूप, भवनों की स्थिति जर्जर और अपूर्ण थी, जिसे सितंबर 2018 में जिला पदाधिकारियों द्वारा संचालित किए गए 1921 सामुदायिक भवनों (4056 भवनों में से) के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन द्वारा भी पुष्टि की गई। उनमें से 219 भवन (11.40 प्रतिशत) मरम्मत और संधारणके अभाव में जीर्ण-शीर्ण स्थिति में थे, 588 भवन (30.60 प्रतिशत) अपूर्ण¹²⁵ थे और 15 भवन अतिक्रमित थे। जवाब में बि.म.वि.मि. ने बताया (अक्टूबर 2020) कि भौतिक सत्यापन के बाद जिला पदाधिकारी को उचित कार्रवाई सुनिश्चित करनी थी। हालाँकि, इस तरह की उचित कार्रवाई करने वाले किसी भी विशिष्ट अभिलेख को लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अतिरिक्त, मिशन निदेशक, बि.म.वि.मि. ने कहा कि कार्य योजना की संबंधित तैयारी के लिए भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार को एक पत्र (सितंबर 2020) जारी किया गया है। जिला पदाधिकारियों द्वारा रिपोर्टिंग के दो साल की देरी के बाद बि.म.वि.मि. ने इन भवनों की मरम्मत के लिए कार्रवाई शुरू की।

इस प्रकार, सामुदायिक भवन के निर्माण की गति धीमी थी और पूर्ण योजनाओं के मामले में, निधियों की व्यवस्था नहीं होने और अनुश्रवण के अभाव में सामुदायिक भवन के रखरखाव की स्थिति खराब थी। विभाग ने बताया (अक्टूबर 2020) कि योजना की निगरानी आवधिक बैठकों में की गयी थी। हालाँकि, उपरोक्त से स्पष्ट है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों (महादलितों सहित) को सामुदायिक स्थान प्रदान करने की योजना का वांछित उद्देश्य पर्याप्त रूप से अपूर्ण रहा।

3.1.8 निष्कर्ष

बि.म.वि.मि. का वित्तीय प्रबंधन अप्रभावी था, जो अवास्तविक बजट आवंटन, उपयोगिता प्रमाणपत्रों के जमा न करने, रोकड़ बही के गैर-समाधान से स्पष्ट था और कई बैंक खातों का संचालन धन के दुरुपयोग और गबन के जोखिम से भरा था। इसके अलावा, राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर मानवबल की गंभीर कमी थी, जिसका योजनाओं के निष्पादन और निगरानी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। सामुदायिक भवनों के निर्माण की गति धीमी थी और विद्यमान सामुदायिक भवनों के अनुरक्षण की स्थिति निधि का प्रावधान न होने के कारण खराब थी।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग

3.2 “क्षतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण” (कैम्पा) निधियों का उपयोग

3.2.1 परिचय

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरण, केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के अलावा, कोई भी वन भूमि या उसके हिस्से का उपयोग किसी भी गैर-वन प्रयोजन के लिए करने का निर्देश देने वाला आदेश नहीं देगा। वन भूमि आम-तौर पर विकासात्मक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए

¹²⁵ छत, प्लास्टर, छत ढलाई एवं रंगाई-पुताई का अभाव

वनेत्तर उद्देश्यों के लिए विचलन की जाती है। भारत की राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में वन और वृक्ष आच्छादन के अंतर्गत देश के 33 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र को प्राप्त करने के लक्ष्य की परिकल्पना की गयी है। क्षतिपूरक वनीकरण का 'उद्देश्य' भूमि द्वारा भूमि के 'नुकसान' और 'वृक्षों द्वारा वृक्षों के 'नुकसान' की भरपाई करना है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया (अक्टूबर 2002) कि क्षतिपूरक वनीकरण कोष बनाया जाएगा जिसमें उपयोगकर्ता—एजेंसियों से क्षतिपूरक वनीकरण, दंडनीय क्षतिपूरक वनीकरण¹²⁶, वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.)¹²⁷ इत्यादि से प्राप्त सभी राशियों को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (अधिनियम) के तहत जमा किया जाएगा। पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार ने पूरे भारत में अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एक क्षतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा) का गठन (अप्रैल 2004) किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पाया (मई 2006) कि कैम्पा अब तक चालू नहीं हुई थी। इसलिए, इसने एक तदर्थ निकाय के गठन के लिए आदेश दिया, जिसे 'तदर्थ कैम्पा' के रूप में जाना जाता है। तदनुसार, तदर्थ कैम्पा नामक एक केंद्रीय स्तर की संस्था का गठन मई 2006 में किया गया था।

भारत सरकार की उपरोक्त व्यवस्था के अनुसरण में, बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य क्षतिपूरक वनीकरण प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (राज्य कैम्पा) का गठन (जनवरी 2010) किया गया था। इसके अलावा, बिहार सरकार ने दिसंबर 2018 में राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष की स्थापना की और वर्ष 2019–20 से बिहार में एक पूर्ण-रूपेण कैम्पा कार्यान्वित किया जा रहा है।

भारतीय वन सर्वेक्षण के 2019 के प्रतिवेदन के अनुसार, भौगोलिक क्षेत्र के तुलना में वन अच्छादन का राष्ट्रीय प्रतिशत 21.67 प्रतिशत था जबकि बिहार में यह 7.76 प्रतिशत था। पिछले एक दशक में भारत और बिहार में क्रमशः 0.65 और 0.53 प्रतिशत वन क्षेत्र में वृद्धि थी।

कैम्पा के उद्देश्य थे:

- प्राकृतिक वनों का संरक्षण, सुरक्षा, पुनर्जनन और प्रबंधन;
- संरक्षित क्षेत्रों के भीतर और बाहर वन्यजीवों और उनके आवास के संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन;
- क्षतिपूरक वनीकरण
- चराई, पर्यटन, वन्यजीव संरक्षण और जीवन समर्थन जैसी पर्यावरणीय सेवाएँ; तथा
- अनुसंधान, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।

¹²⁶ दड़ात्मक क्षतिपूरक वनीकरण वनभूमि के विचलन के अनुमोदन के दौरान उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा उचित प्राधिकार के बिना किये गये कार्य पर लगाए जाते हैं।

¹²⁷ वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य का अर्थ है कि वन क्षेत्र को गैर-वानिकी उपयोगों के लिए प्रदान करने उपरांत पर्यावरणीय सेवाओं की मात्रा का निर्धारण जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर नियुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है।

3.2.2 संगठनात्मक ढाँचा

राज्य कैम्पा में एक शासी निकाय और दो समितियाँ शामिल हैं, जैसे, संचालन समिति और कार्यकारी समिति। शासी निकाय¹²⁸ कैम्पा की नीतियों का निर्माण और समीक्षा करता है। वार्षिक कार्य योजना (वार्षिक योजना) की तैयारी, निगरानी और कार्यान्वयन के लिए संचालन समिति¹²⁹ और कार्यकारी समिति¹³⁰ जिम्मेवार हैं।

3.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

कैम्पा कोष के उपयोग की अनुपालन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या:

- पर्याप्त नियोजन प्रक्रिया लागू थी;
- वित्तीय और क्रियान्वयन प्रावधानों का पालन किया गया; तथा
- प्रभावी निगरानी तंत्र अस्तित्व में था।

3.2.4 लेखापरीक्षा क्षेत्र और कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2014–19 की अवधि को आच्छादित किया था और यह जून से सितंबर 2019 के बीच आयोजित किया गया था। राज्य में कैम्पा के कामकाज का आकलन राज्य के 29 वन प्रमंडल कार्यालयों में से पाँच¹³¹ योजना कार्यान्वयन इकाईयों यानी वन प्रमंडल कार्यालय को आच्छादित करने के साथ हीं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना (नोडल पदाधिकारी) और प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, पटना के अभिलेखों के अनुपालन लेखापरीक्षा के माध्यम से किया गया था। कार्यान्वयन इकाईयों का चयन राज्य कैम्पा द्वारा विभिन्न वन प्रमंडलों में जारी किए गए निधि के परिमाण और व्यय के आधार पर किया गया था।

3.2.5 योजना

3.2.5.1 वार्षिक कार्य योजना का विलंब से तैयारी

राज्य कैम्पा के मार्गदर्शिका के कंडिका 15 (2) (ii) के अनुसार, अगले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक योजना पूर्ववर्ती वर्ष के दिसंबर के अंत तक तैयार की जानी थी। जबकि, यह देखा गया कि वर्ष 2014–19 के दौरान दो से 10 महीने तक की देरी के साथ कार्यकारी समिति द्वारा वार्षिक योजनाएँ तैयार की गयी थीं।

जिसके परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष के जनवरी/फरवरी में वर्षा ऋतु वृक्षारोपण के अग्रिम कार्य किए गए और अगले वित्तीय वर्ष के जुलाई/अगस्त में वृक्षारोपण कार्य को अंजाम दिया गया। इस प्रकार, वार्षिक योजनाओं की तैयारी में कमी के कारण वर्षा ऋतु वृक्षारोपण को अगले वर्ष तक स्थानांतरित कर दिया गया।

इसे इंगित किये जाने पर, नोडल पदाधिकारी, राज्य कैम्पा ने कहा (मई 2019) कि आगामी वित्तीय वर्ष में जारी किये जाने वाली निधि के परिमाण के बारे में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय

¹²⁸ जिसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री करेंगे

¹²⁹ जिसकी अध्यक्षता बिहार सरकार के मुख्य सचिव करेंगे

¹³⁰ जिसकी अध्यक्षता प्रधान मुख्य वन संरक्षक करेंगे

¹³¹ अररिया, बाँका, बेगूसराय, गया और सहरसा

से पत्र प्राप्त होने के बाद राज्य में वार्षिक योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया था। यह आम तौर पर केवल मार्च या अप्रैल माह में किया जाता है।

उत्तर न्यायोचित नहीं था क्योंकि पिछले वर्ष की शेष राशि और चालू वर्ष की जमा राशि के माध्यम से धन की उपलब्धता पहले से ही राज्य कैम्पा को ज्ञात थी। इसके अलावा, जनवरी 2016 के पहले सप्ताह में और फरवरी 2017 के तीसरे सप्ताह में तदर्थ कैम्पा द्वारा धन के आकार की सूचना के बावजूद, क्रमशः मार्च 2016 और मई 2017 के महीने में वार्षिक योजनाएँ तैयार की गयीं।

3.2.5.2 क्षतिपूरक वनीकरण के लिए निधियों का अनुचित प्रावधान

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया (जुलाई 2009) कि संबंधित राज्य से मूलधन¹³² का 10 प्रतिशत तदर्थ कैम्पा द्वारा शर्तों के अधीन जारी किया जाएगा:


- एनपीवी और संरक्षित क्षेत्र के लिए जमा राशि राज्य की संचालन समिति द्वारा वार्षिक योजना के अनुमोदन के बाद जारी की जानी थी; तथा
- अधिनियम के तहत पूर्व स्वीकृति प्रदान किये जाने के समय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित निर्धारित स्थल के कार्यों के क्रियान्वयन के लिए तदर्थ कैम्पा द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण, अतिरिक्त क्षतिपूरक वनीकरण¹³³ और दंडनीय क्षतिपूरक वनीकरण के लिए राशि तुरंत जारी की जानी थी।

यह पाया गया कि, राज्य कैम्पा ने वर्ष 2014–18 के दौरान क्षतिपूरक / दंडनीय क्षतिपूरक वनीकरणयोजनाओं के लिए उपलब्ध निधियों के विरुद्ध (उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त किया गया कुल क्षतिपूरक / दंडनीय क्षतिपूरक वनीकरण निधियों का 10 प्रतिशत) वार्षिक योजना में निधियों का अपर्याप्त प्रावधान किया था, जिसके परिणामस्वरूप वनीकरण के लिए धन की उपलब्धता कम रही, इसे चार्ट-3.2.1 में दर्शाए गए हैं:

चार्ट- 3.2.1:

क्षतिपूरक वनीकरण के लिए उपलब्ध निधियों के तुलना में वार्षिक योजना में क्षतिपूरक वनीकरण के लिए प्रावधानित की गयी निधियों की तुलना

(₹ करोड़ में)



¹³² वन भूमि के विचलन के विरुद्ध उपयोगकर्ता एजेंसियों के द्वारा जमा की गई राशि।

¹³³ “अतिरिक्त क्षतिपूरक वनीकरण” वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर-वानिकी उपयोग के लिए वही वन भूमि पर या उसके आस-पास वनीकरण के लिए उपयोगकर्ता एजेंसी पर लगायी गयी एक शर्त है।

इसे इंगित किये जाने पर, नोडल पदाधिकारी, राज्य कैम्पा ने कहा (सितम्बर 2019) कि अंतर का कारण क्षतिपूरक / दंडनीय क्षतिपूरक वनीकरण योजनाओं का द्वितीय चरण¹³⁴ के अनुमोदन के बाद लिया जाना है। नोडल पदाधिकारी के जवाब मान्य नहीं था क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार क्षतिपूरक / दंडनीय क्षतिपूरक वनीकरण योजनाओं को निष्पादित किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस प्रकार, क्षतिपूरक / दंडनीय क्षतिपूरक वनीकरण के लिए वार्षिक योजनाओं की निधियों के अपर्याप्त प्रावधान ने राज्य कैम्पा के लिए दायित्व और वित्तीय बोझ का निर्माण किया, जो आगे के कंडिकाओं में वर्णित हैं।

3.2.5.3 क्षतिपूरक वनीकरण का क्रियान्वयन नहीं/विलंब से किया जाना

अधिनियम के कंडिका 3.1 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव में क्षतिपूरक वनीकरण के लिए एक व्यापक योजना होनी चाहिए, जो संबंधित राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित हो।

आगे, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राज्य कैम्पा के लिए जारी दिशा-निर्देशों (जुलाई 2009) में कहा गया है कि धन प्राप्त होने के बाद, राज्य कैम्पा को वनीकरण को एक वर्ष या दो वर्धन मौसम, जो उपयुक्त हो, के भीतर पूरा करना चाहिए, जिसके लिए क्षतिपूरक वनीकरण निधि में धनराशि जमा की जाती है।

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने राज्य में जनवरी 2010 से मार्च 2019 के दौरान वन भूमि विचलन के 274¹³⁵ मामलों (3308.60 हेक्टेयर) के लिए पूर्व स्वीकृति दी। कैम्पा के दिशानिर्देशों के अनुसार वन भूमि के विचलन के 130 मामलों के लिए दिसंबर 2017¹³⁶ तक क्षतिपूरक वनीकरण निधि जमा किये गये थे, जिनको वर्ष 2011–19 की अवधि के दौरान वार्षिक योजनाओं में लिया जाना था। 130 मामलों के अंतर्गत वनीकरण कार्यों की विवरणी तालिका संख्या 3.2.1 में दिखाया गया है:

तालिका सं. 3.2.1

वन भूमि विचलन के मामले जिनके लिए जनवरी 2010 से दिसम्बर 2017 के दौरान वनीकरण निधियाँ जमा की गई थीं

क्र. सं.	विवरणी	मूल्य
1	2	3
1.	274 मामलों में से वनभूमि के विचलन के वे मामले जिनके लिए निधियाँ जमा की गयी थीं	130
2.	130 मामलों के विरुद्ध प्रस्तावित वनीकरण योजनाएँ	169
3.	169 वनीकरण योजनाओं में शामिल क्षेत्रफल एवं लंबाई	2970 हेक्टेयर और 377 कि.मी.
4.	वर्ष 2018–19 तक वार्षिक योजना में लिए गये वनीकरण योजनाओं (169 के विरुद्ध) की संख्या	115
5.	मार्च 2019 तक बकाया वनीकरण योजनाओं की संख्या	54
6.	बकाया 54 वनीकरण योजनाओं में शामिल क्षेत्रफल एवं लंबाई	1613 हेक्टेयर और 152 कि.मी.
7.	बकाया 54 वनीकरण योजनाओं के अंतर्गत पौधारोपण किये जाने वाले पौधों की संख्या	27.77 लाख

(स्रोत: राज्य कैम्पा के अभिलेख)

वर्ष 2013–14 से बकाया 54 वनीकरण (**परिशिष्ट-3.2.1**) योजनाओं के फलस्वरूप न केवल पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई वंचित हुई, बल्कि ₹ 114 (अप्रैल 2010) से ₹ 257

¹³⁴ वन भूमि विचलन के प्रस्ताव को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय दो चरणों में पूर्व स्वीकृति प्रदान करती है: पहला सौद्धातिक रूप में या प्रथम चरण अनुमोदन और दूसरा, सौद्धातिक रूप से प्राप्त अनुमोदन में निहित शर्तों के अनुपालन उपरान्त, अंतिम या दूसरा चरण अनुमोदन

¹³⁵ दुर्गावती जलाशय परियोजना (2029.80 हेक्टेयर) को छोड़कर क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश (2013) के आलोक में इस निधि के लिए एक पृथक संग्रह बनाया गया था।

¹³⁶ मार्गदर्शिका के अनुसार वर्ष 2018–19 के संचालन की वार्षिक योजना दिसम्बर 2017 तक तैयार किया जाना था।

(अक्टूबर 2018) तक मजदूरी दर में वृद्धि के कारण राज्य कैम्पा पर देयता भी सृजित हुई। लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि इन वनीकरण योजनाओं के क्रियान्वयन नहीं होने के कारण राज्य कैम्पा द्वारा ₹ 14.54 करोड़ (उपलब्ध धन का 47 प्रतिशत) की देयता (मार्च 2019) बनाई गयी थी। देयता का सारांश तालिका संख्या 3.2.2 में नीचे दिया गया है:

तालिका सं. 3.2.2 बकाया वनीकरण योजनाओं पर देयता

(₹ लाख में)

मजदूरी दर जिस पर उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा राशि जमा की गई (₹में)	योजनाओं की संख्या	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा जमा राशि स्तंभ 1 के मजदूरी दर के अनुसार	स्तंभ 1 की तुलना में ₹257 (अक्टूबर 2018) की दर से मजदूरी दर में प्रतिशत वृद्धि	मार्च 2019 तक में देयता का सृजन
1	2	3	4	5
114	1	18.29	125.44	22.94
144	13	534.54	78.47	419.45
151	8	410.38	70.20	288.09
168	4	156.67	52.98	83.00
176	6	452.35	46.02	208.17
184	1	2.75	39.67	1.09
186	2	22.02	38.17	8.41
194	7	676.31	32.47	219.60
197	3	188.37	30.46	57.38
206	4	566.55	24.76	140.28
237	2	43.16	8.44	3.64
242	1	29.68	6.20	1.84
247	2	7.73	4.05	0.31
कुल	54	3108.80		1454.20

(स्रोत: राज्य कैम्पा के अभिलेख)

इसके अलावा, उपर्युक्त 115 क्रियान्वित योजनाओं (तालिका संख्या 3.2.1) में से आठ वनीकरण योजनाएँ (वर्ष 2011–16) एक से दो वर्ष तक की देरी से क्रियान्वित की गयी थी। विलंबित क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप ₹ 1.47 करोड़ (परिशिष्ट-3.2.2) का अधिक व्यय हुआ क्योंकि स्थान विशेष के लिए क्षतिपूरक वनीकरण के लिए उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा जमा किए गए धन के मुकाबले मजदूरी दर बढ़ गयी थी।

इसे इंगित किए जाने पर नोडल पदाधिकारी, राज्य कैम्पा ने कहा (सितंबर 2019) कि बकाए का विवरणी, यदि उपलब्ध हो, तैयार किया जाएगा और संबंधित योजनाओं को अगले वार्षिक योजनाओं में लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि स्टेज-II (अंतिम) मंजूरी के बाद क्षतिपूरक / दंडनीय क्षतिपूरक वनीकरण योजनाएँ शुरू की गई थीं, इसलिए वृक्षारोपण की लागत बढ़ गई। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा राशि जमा करने के तुरंत बाद वनीकरण योजनाओं को लिया जाना था।

3.2.5.4 वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना उपयोगकर्ता एजेंसियों से राशि की माँग

भारत सरकार द्वारा वनेत्तर उपयोगों के लिए वन भूमि के गैर-आरक्षित या विचलन के प्रस्तावों को मंजूरी देते समय क्षतिपूरक वनीकरण सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में से एक है। ऐसे सभी प्रस्तावों के लिए यह जरूरी¹³⁷ है कि, एक व्यापक योजना तैयार की जाय और इस तरह के वनीकरण कार्यों के लिए उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा कैम्पा खाते में आवश्यक धनराशि जमा कराई जाये।

¹³⁷ अधिनियम के कंडिका 3.1 के अनुसार

- **योजनाओं की कम क्रियान्वयन अवधि के कारण अत्यधिक मांग**

राज्य कैम्पा के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला है कि अवक्रमित वन पुनर्वास (आर.डी.एफ.) मामले में नौ से 11 वर्षों के लिए और लौह गेबियन¹³⁸ वृक्षारोपण योजनाओं के लिए 10 से 12 वर्षों रख-रखाव अवधि सहित के लिए उपयोगकर्ता एजेंसियों से राशि की मांग की गई थी। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के निर्देशों (नवंबर 2013 से सितंबर 2017) के आलोक में निधियों की मांग की गई थी, जो रखरखाव की अवधि सात से 10 वर्ष रखने का उल्लेख करती थी। हाँलांकि, यह देखा गया कि योजनाओं को रखरखाव अवधि सहित केवल तीन से पाँच वर्षों के लिए प्रावधानित/क्रियान्वित किया गया था। आगे, राज्य कैम्पा द्वारा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के साथ वृक्षारोपण योजनाओं के लिए क्रियान्वयन अवधि की वास्तविक आवश्यकता से संबंधित मुद्दा नहीं उठाया गया था। यह इंगित करता है कि उपयोगकर्ता एजेंसियों से राशि की मांग और वृक्षारोपण योजनाओं के क्रियान्वयन की अवधि के लिए राशि की वास्तविक आवश्यकता/उपयोग के आधार के बीच कोई सामंजस्य नहीं था। इस तरह वास्तविक आवश्यकता के बिना उपयोगकर्ता एजेंसियों से अतिरिक्त राशि की मांग की गयी थी। योजनावार विवरणी परिशिष्ट-3.2.3 में दिए गये हैं और धनराशि की अतिरिक्त मांग का सारांश नीचे तालिका सं. 3.2.3 में दिया गया है:

**तालिका सं. 3.2.3
उपयोगकर्ता एजेंसियों से अतिरिक्त मांग**

(राशि ₹में)

विवरणी	आर.डी.एफ. योजनाएँ	लौह गेबियन योजनाएँ	कुल
वन भूमि के विचलन के मामलों की सं0	16	10	26
विचलन का क्षेत्रफल	315.22 हेक्टर	6.32 हेक्टर	321.54 हेक्टर
वनीकरण का क्षेत्रफल	612 हेक्टर	-----	612 हेक्टर
पौधों की सं.	14,54,598	2,146	14,56,744
वृक्षारोपण और योजना के रखरखाव के लिए वर्षों की संख्या जिसके लिए निधि जमा की गयी थी	9 से 11 वर्ष	10 से 12 वर्ष	---
वार्षिक योजना में परिलक्षित वृक्षारोपण और रखरखाव के योजना के लिए वर्षों की संख्या	5 वर्ष	3 वर्ष	---
वार्षिक योजनाओं का वर्ष	2015-16 से 2018-19	2018-19	---
उपयोगकर्ता एजेंसियों के द्वारा जमा राशि	11,76,59,056	2,32,63,383	14,09,22,439
वार्षिक योजना में योजना के लिए प्रावधानित राशि	10,25,55,901	85,72,170	11,11,28,071
उपयोगकर्ता एजेंसियों से अधिक मांग की गयी राशि	1,51,03,155	1,46,91,233	2,97,94,388

(झोत: राज्य कैम्पा के अभिलेख)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि राज्य कैम्पा द्वारा ₹ 2.98 करोड़ की अधिक राशि की मांग की गयी थी और उसी को संबंधित कैम्पा खातों में उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा 16 आर.डी.एफ और 10 लौह गेबियन योजनाओं के विरुद्ध पाँच से 11 वर्ष के क्रियान्वयन अवधि (रखरखाव सहित) के लिए जमा (जून 2015 से अगस्त 2016 तक) किया गया था। जबकि, इन योजनाओं को ₹ 25.41 लाख के लिए वार्षिक योजना (वर्ष 2017–18) में इसे लौह गेबियन के स्थान पर बॉस गेबियन का उपयोग करके क्रियान्वित करने हेतु प्रावधानित किया गया था और वह भी

¹³⁸ लौह गेबियन पौधारोपण के लिए लौहों की जाल के साथ पौधों का सुरक्षा कवच हैं

केवल तीन वर्षों की क्रियान्वयन अवधि के लिए। कार्य के मद की विशिष्टियों में परिवर्तन और छोटी क्रियान्वयन अवधि के परिणामस्वरूप उपयोगकर्ता एजेंसियों से ₹ 30.60 लाख (**परिशिष्ट-3.2.4**) की अधिक धनराशि की माँग की गयी थी।

(ii) आगे, एन.एच.-77 (मुजफ्फरपुर-सोनबरसा सड़क पर 0 से 89 कि.मी. के दूरी पर) को मजबूत बनाने और चौड़ीकरण के लिए 128.10 हेक्टेयर वन भूमि के विचलन के लिए प्रस्तावित क्षेत्र के दोगुने अवक्रमित वन क्षेत्र में (256.20 हे. आर.डी.एफ. का क्षेत्र) उपयोगकर्ता एजेंसी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की लागत पर क्षतिपूरक वनीकरण के निर्धारित शर्त के साथ वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने विचलन की मंजूरी दी (मई 2011 और जून 2013) थी। लेकिन, राज्य कैम्पा ने ₹ 10.59 करोड़ की लागत से आर.डी.एफ. योजना के बदले में दो¹³⁹ स्थलों (117 कि.मी.) पर सड़क किनारे वृक्षारोपण के लिए एक प्राक्कलन तैयार किया। तदनुसार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कैम्पा कोष में प्राक्कलति राशि जमा (दिसंबर 2011 और अप्रैल 2013) किया। यह पाया गया कि राज्य कैम्पा ने वार्षिक योजना वर्ष 2015–16 में सड़क किनारे वृक्षारोपण के बजाय अवक्रमित वन भूमि के 256.20 हेक्टेयर में क्षतिपूरक वनीकरण की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए केवल ₹ 3.00 करोड़ का प्रावधान किया था। इस प्रकार, राज्य कैम्पा ने उपयोगकर्ता एजेंसी से ₹ 7.59 करोड़ की अधिक राशि की माँग की।

इसे इंगित किए जाने पर, नोडल पदाधिकारी, राज्य कैम्पा ने उत्तर दिया (सितंबर 2019) कि राज्य की विभागीय मजदूरी दर के आधार पर क्षतिपूरक योजनाओं पर व्यय का प्रावधान किया गया था। वृक्षारोपण के विशिष्टियों में परिवर्तन के कारणों के परिणामस्वरूप उपयोगकर्ता एजेंसियों से धन की अधिक माँग बारे में विशेष उत्तर राज्य कैम्पा (जनवरी 2021) से प्राप्त नहीं हुआ था।

3.2.6 वित्तीय प्रबंधन

3.2.6.1 वास्तविक निधि के आकार के आधार पर वार्षिक योजना की तैयारी न करना

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तदर्थ कैम्पा को प्रतिवर्ष प्रत्येक राज्य / केंद्रशासित प्रदेश के मूलधन के 10 प्रतिशत के बराबर राशि निर्गत करने का आदेश (मार्च 2014) दिया, जो वित्तीय वर्ष 2014–15 से प्रभावी था। वर्ष 2014–15 से 2018–19 के दौरान तदर्थ कैम्पा द्वारा वास्तव में जारी की जाने वाली निधि का विवरण तालिका संख्या 3.2.4 में दिया गया है:

तालिका सं. 3.2.4
निर्गत की जाने वाली और निर्गत की गयी निधियों की विवरणी

(₹ लाख में)

वार्षिक योजना का वर्ष	राज्य कैम्पा के अनुसार निर्गत की जाने वाली निधियाँ	तदर्थ कैम्पा के अनुसार निर्गत की जाने वाली निधियाँ	तदर्थ कैम्पा के द्वारा वास्तविक निर्गत की गई निधियाँ	स्तम्भ 3 की तुलना में कम निर्गत	राशि जिसके लिए वार्षिक योजना तैयार की गयी	व्यय
1	2	3	4	5 (4-3)	6	7
2014-15	2523.42	2523.42	1814	709.42	1814.12	1896.09
2015-16	2504.03	2702.80	2702	0.8	2701.99	2575.25
2016-17	2710.43	3429.70	3429	0.7	3793.25	3680.17
2017-18	2415.68	3692.60	3600	92.6	3686.90	3035.12
2018-19	2816.33	3794.00	3762	32	3793.80	4448.90
कुल	12969.89	16142.52	15307	835.52	15790.06	15635.53

(स्रोत: राज्य कैम्पा के अभिलेख और तदर्थ कैम्पा के द्वारा निर्गत पत्र)

¹³⁹ (i) राष्ट्रीय उच्चपथ- 104 और (ii) राजकीय उच्च पथ-87

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट था कि वर्ष 2014–15 के अतिरिक्त वर्ष 2014–19 के दौरान तदर्थ कैम्पा द्वारा प्रतिवेदित की गयी धनराशि की उपलब्धता राज्य कैम्पा के अभिलेखों के अनुसार उपलब्ध धन से अधिक थी। यह इंगित करता था कि राज्य कैम्पा द्वारा न तो धन के अभिलेखों को ठीक से संधारण किया जा रहा था और न ही इसका समाशोधन किया जा रहा था। इसके कारण तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा वास्तविक हिस्सेदारी का दावा नहीं किया गया। इसके अलावा, वर्ष 2014–15 में राज्य कैम्पा द्वारा कम राशि की वार्षिक योजना तैयार की गयी, जिसके कारण तदर्थ कैम्पा से कम धनराशि निर्गत हुई। परिणामस्वरूप, वर्ष 2014–19 के दौरान राज्य कैम्पा ₹ 8.35 करोड़ राशि पाने से बंचित रहा।

इसे इंगित किये जाने पर, नोडल पदाधिकारी, राज्य कैम्पा ने कहा (सितंबर 2019) कि तदर्थ कैम्पा के साथ समाशोधन के लिए पत्राचार किया जाएगा और तदर्थ कैम्पा से प्राप्त होने वाली धनराशि की मात्रा के पत्र के आधार पर वर्ष 2014–15 के लिए वार्षिक योजना तैयार की गई थी।

उत्तर न्यायसंगत नहीं था क्योंकि तदर्थ कैम्पा के साथ राज्य की निधियों का नियमित रूप से समाशोधन करते हुए वास्तविक धन राशि के आधार पर वार्षिक योजना तैयार की जानी चाहिए थी। गौरतलब है कि तदर्थ कैम्पा ने 31 मार्च 2014 के अनुसार समाशोधित धनराशि की मात्रा के बारे में राज्य कैम्पा को सूचित (अगस्त 2014) कर दिया था। इसलिए, वर्ष 2014–15 के लिए इस बात की सूचना मिलने के साथ ही अनुपूरक वार्षिक योजना तैयार की जानी चाहिए थी।

3.2.6.2 अनियमित व्यय

राष्ट्रीय कैम्पा सलाहकार परिषद (जनवरी 2012) और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार (अप्रैल 2015) के निर्देशानुसार था कि वन-प्रक्षेत्र पदाधिकारी स्तर से ऊपर के पदाधिकारियों के लिए वाहन, पेट्रोल, तेल और स्नेहक आदि की खरीद पर व्यय, कैम्पा कोष से अनुमान्य नहीं होगा।

अभिलेखों की जाँच से पता चला (मई 2019) कि राज्य कैम्पा के द्वारा वर्ष 2014–17 के लिए तैयार की गयी वार्षिक योजनाओं के माध्यम से शुद्ध वर्तमान मूल्य, वन भूमि के विचलन के विरुद्ध प्राप्त अन्य स्रोत की राशि एवं ब्याज शीर्ष से प्राप्त राशि से वन-प्रक्षेत्र पदाधिकारियों के पद से ऊपर के पदाधिकारियों के उपयोग के लिए बोलेरो, स्कॉर्पियो, टाटा सफारी आदि 13 वाहनों की खरीद पर ₹ 154.55 लाख के व्यय की अनुमति दी गयी थी।

इसे इंगित किये जाने पर, नोडल पदाधिकारी, राज्य कैम्पा ने कहा कि धन के अन्य स्रोत तदर्थ कैम्पा का हिस्सा नहीं थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि धन के अन्य स्रोत भी उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा केवल वनीकरण प्रयोजनों के लिए जमा किए गए थे और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गैर-वनीकरण उद्देश्य से वन भूमि के विचलन का अनुमोदन के समय जारी निर्देशों के तहत वनीकरण भी किया गया था।

3.2.6.3 अभिलेखों का असंधारण / अनियमित संधारण

राज्य कैम्पा के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य स्तर की कार्यकारी समिति योजना के कार्यान्वयन एजेंसी स्तर पर लेखा के संधारण हेतु संहिता विकसित करेगी। राज्य कैम्पा ने खातों के रख-रखाव और कैम्पा कोषों के लेखा-परीक्षण के संबंध में दिशानिर्देश

जारी किए (अगस्त 2010)। लेकिन, बैंक समाशोधन विवरणी (बी.आर.एस) की तैयारी के प्रावधान, जो वित्तीय तंत्र पर आंतरिक नियंत्रण रखने के लिए वित्तीय प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है, को दिशानिर्देश में शामिल नहीं किया गया था। इसलिए नमूना—जाँचित किसी भी प्रमण्डल में बैंक समाशोधन विवरणी नहीं पाया गया।

आगे, नमूना—जाँचित प्रमण्डलों के लेखापरीक्षा के दौरान राज्य कैम्पा के निर्देशों के विरुद्ध निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गयीं:

- वन प्रमण्डल, बेगूसराय को अतिरिक्त नमूना—जाँचित प्रमण्डलों में न तो मासिक लेखा तैयार किया गया था और न ही संबंधित वन संरक्षक (व.स) को उपस्थापित किया गया।
- तीन¹⁴⁰ प्रमण्डलों में विगत तीन वर्षों से तथा वन प्रमण्डल, बेगूसराय में विगत छः माह से कैम्पा कोष की रोकड़ बही का संधारण नहीं किया जा रहा था।
- वन प्रमण्डल, सहरसा में कैम्पा कोष की खाता बही (लेजर) का संधारण नहीं किया जा रहा था और दो¹⁴¹ वन प्रमण्डलों में इसका संधारण अपूर्ण था।
- वन प्रमण्डल, सहरसा में कैम्पा कोष के लिए अलग बैंक खाता का संधारण नहीं किया जा रहा था।
- नमूना—जाँचित प्रमण्डलों में वन रोपण पुस्तिका एवं मापी पुस्त का संधारण अपूर्ण था।

इन अनियमितताओं के दृष्टांतों के परिणामस्वरूप:

- (i) वन प्रमण्डलों, अररिया और बांका में बचत बैंक ब्याज का अनधिकृत व्यय हुआ
 - (ii) वन प्रमण्डल, सहरसा में बचत बैंक ब्याज का अनियमित लेखांकन हुआ
 - (iii) वन प्रमण्डल, सहरसा एवं बांका में बैंक से वास्तविक राशि की निकासी की तुलना में लेखा बही में अग्रिमों की कम प्रविष्टि की गयी और
 - (iv) वन प्रमण्डलों गया, सहरसा तथा बेगूसराय में असमायोजित वन अग्रिम पाए गए।
- (परिशिष्ट-3.2.5)**

3.2.7 कैम्पा कोष के अन्तर्गत किये गये कार्यों का क्रियान्वयन

3.2.7.1 निष्फल व्यय

यह देखा गया (मई 2019) कि राज्य कैम्पा ने आठ¹⁴² वन प्रमण्डलों में चार माह के अंदर टर्न—की आधार पर उच्च तकनीक वाले (हाई टेक) पौधशाला के निर्माण हेतु में ० शील बायोटेक लिमिटेड, नई दिल्ली नामक एजेंसी को कार्यादेश (नवम्बर 2011) निर्गत किया था। इन पौधशालाओं का उद्देश्य प्रतिवर्ष एक लाख उच्च गुणवत्तायुक्त पौधों का उत्पादन करना था। उपर्युक्त एजेंसी के द्वारा पौधशालाओं का निर्माण और संबंधित वन प्रमण्डलों को हस्तगत करने का कार्य तीन से इकीस माह की देरी से किया गया तथा ₹2.20 करोड़ का भुगतान सितम्बर 2013 से फरवरी 2015 के बीच किया गया।

¹⁴⁰ अररिया, सहरसा और गया

¹⁴¹ अररिया (मार्च 2011 तक) तथा गया (मार्च 2016 तक)

¹⁴² बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भोजपुर, नालंदा, रोहतास और बांका

यह देखा गया कि आठ पौधशालाओं में से छह पौधशालाएँ (मोतिहारी और मुजफ्फरपुर को छोड़कर जो वर्ष 2017–18 से संचालित थे और क्रमशः 67,123 तथा 5,531 पौधे उत्पादित किए) कैम्पा कोष से ₹ 164.98¹⁴³ लाख का व्यय होने के बावजूद विगत चार सालों से पौधा उत्पादन के लिए संचालित नहीं हो पायी थीं।



हाईटेक पौधशाला, सुपहा (बांका)

पौधशाला के अक्रियाशील होने की अगली पुष्टि सुपहा, बांका स्थित हाईटेक पौधशाला के संयुक्त भौतिक सत्यापन (जुलाई 2019) के दौरान हुई। आगे, पौधशाला के उपकरण निष्क्रिय पड़े हुए थे और धीरे-धीरे जीर्ण-शीर्ण होने की प्रक्रिया में थे। पृच्छा किये जाने पर वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बांका ने कहा कि प्रशिक्षित मानव बल के अभाव में पौधशाला क्रियाशील नहीं हो सकी। वन प्रमण्डल पदाधिकारी का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि मानव बल के नियोजन के निर्णय के बारे में पहले ही प्रमण्डल को सूचित किया जा चुका था (जुलाई 2012)।

इस तरह उपर्युक्त तथ्य प्रकट करते थे कि राज्य कैम्पा और विभाग द्वारा पौधशालाओं के उपयोग के प्रति योजना के अभाव तथा ढीले-ढाले रवैये के कारण इन पौधशालाओं की स्थापना पर कैम्पा कोष से ₹ 164.98 लाख की धनराशि का किया गया व्यय निष्कल हो गया क्योंकि अभिप्रेत उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

3.2.7.2 पौधारोपण के संपोषण कार्य पर अधिक व्यय

- पौधों के वास्तविक उत्तर जीविता अनुपात को बिना ध्यान में रखे संपोषण पर व्यय

राज्य कैम्पा द्वारा जारी दिशा निर्देशों (मई 2017 और जुलाई 2018) के अनुसार दूसरे और तीसरे वर्ष में पौधों के संपोषण पर व्यय पौधों के वास्तविक उत्तर जीविता अनुपात के अनुरूप किया जाना था।

पाँच¹⁴⁴ वन प्रमण्डलों के अभिलेखों के नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया कि दूसरे और तीसरे वर्ष में संपोषण पर व्यय पौधों के उत्तर जीविता अनुपात¹⁴⁵ को ध्यान में रखे बिना किया गया। इसके परिणाम स्वरूप पौधों के संपोषण पर तालिका सं0 3.2.5 में दिये गये विवरण के अनुसार ₹ 61.56 लाख का अधिक व्यय किया गया:

¹⁴³ आठ पौधशालाओं के लिए भुगतान: ₹219.97 लाख; इसलिए छ: नहीं संचालित पौधशालाओं पर किया गया भुगतान ₹164.98 लाख था।

¹⁴⁴ अररिया, बांका, बेगुसराय, गया और सहरसा

¹⁴⁵ संपोषण वर्ष में पौधों की मृत्युदर: प्रथम वर्ष: 80 प्रतिशत; द्वितीय वर्ष : 70 प्रतिशत और तृतीय वर्ष: 60 प्रतिशत राज्य कैम्पा के दिशा निर्देशों के अनुसार पौधों के उत्तर जीविता अनुपात के आधार पर व्यय को सीमित किया जाना चाहिए था।

तालिका सं. 3.2.5
पौधारोपण के संपोषण पर अधिक व्यय को दर्शाती विवरणी

(लाख ₹ में)

प्रमण्डल का नाम	कार्यों की संख्या (पौधारोपण का वर्ष)	वित्तीय लक्ष्य	किया गया खर्च	उत्तरजीविता (प्रतिशत में)	किया जाने वाला व्यय (उत्तरजीविता के अनुसार)	अधिकाई व्यय
गया	26(2010-17)	186.72	178.27	66 to 97	159.02	19.25
अररिया	08(2015-16)	70-62	70.62	75 to 93	60.25	10.37
सहरसा	08(2014-15)	58.48	58.48	80 to 84	47.59	10.89
बांका	07(2013-17)	68.12	65.46	69 to 94	59.11	6.35
बेगूसराय	05 (2015-16)	111.15	110.85	67 to 94	96.15	14.70
कुल		495.09	483.68		422.12	61.56

(झोत: नमूना—जाँचित वन प्रमण्डलों के अभिलेख)

संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारियों (व.प्र.प.) द्वारा जवाब दिया गया कि संपोषण अवधि के दौरान पौधों का संपोषण मृत पौधों के बदलाव के साथ किया गया। संबंधित व.प्र.प. का जवाब उचित नहीं था क्योंकि मृत—पौधों के बदलाव का कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अलावे मृत पौधों का बदलाव उत्तरजीविता दर में वृद्धि चाहिए थी परन्तु संपोषण अवधि के दौरान पौधारोपण के उत्तरजीविता प्रतिवेदन में यह प्रतिबिम्बित नहीं हो रहा था। इसलिए राज्य कैम्पा के दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 61.56 लाख का अधिक व्यय हुआ।

• अधिक मजदूरों के प्रावधान के साथ संपोषण पर व्यय

कैम्पा कोष के तहत किए गए वानिकी कार्य विभागीय अनुसूचित दर पर किये जाने थे। विभागीय अनुसूचित दर (01 अक्टूबर 2016) के अनुसार, रख—रखाव कार्य को तीन घटकों जैसे संरक्षण कार्य, कोड़नी—निकोनी और पटवन में वर्गीकृत किया गया था, जोकि, प्रति 1000 पौधों के लिए 243, 49 और 73 मजदूरों का क्रमशः घटकों के लिए प्रावधान किया गया था। इसके अलावा, प्रत्येक 1000 पौधों के लिए रखरखाव के कार्यों में आवश्यक सामग्री के लिए ₹175 का प्रावधान किया गया था।

लेखापरीक्षा (जुलाई 2019) के दौरान यह देखा गया कि वन प्रमण्डल बेगूसराय में वर्ष 2017–18 और 2018–19 के दौरान पौधों के संपोषण कार्य के केवल दो घटक यानि सुरक्षा और कोड़नी—निकोनी ही कराए गए थे। अभिलेखों पर पौधों को पटवन किये जाने का कोई प्रमाण नहीं था। पटवन कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में प्रति 1000 पौधों में केवल 292 मजदूरों को रखरखाव के काम में लगाया जाना था। फिर भी यह देखा गया कि आवश्यकता से अधिक मजदूरों को लगाया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹61.33 लाख का अधिक व्यय हुआ। विवरणी निम्न तालिका संख्या 3.2.6 में दी गई है:

तालिका सं. 3.2.6
कार्यों के देय घटकों के विरुद्ध अधिक व्यय

(राशि ₹ में)

पौधारोपण वर्ष (संपोषण वर्ष)	कार्यस्थल की संख्या	पौधों की संख्या	एस.ओ.आर. के अनुसार अनुमानित व्यय			वास्तविक व्यय	अधिक व्यय
			मजदूरी पर व्यय @ 292 मजदूर/ 1000 पौधे	समग्री पर व्यय @ ₹ 175 /1000	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)
व्यय वर्ष 2017–18; मजदूरी दर ₹ 242 (अप्रैल 2017 से) और ₹ 247 (अक्टूबर 2017 से), इसलिए, पूरे वर्ष के लिए औसत मजदूरी दर ₹ 244.50							
2014–15 (तृतीय वर्ष)	03 ¹⁴⁶ योजनाएँ	56000	3998064	9800	4007864	4907900	900036
2015–16 (द्वितीय वर्ष)	04 ¹⁴⁷ योजनाएँ	108000	7710552	18900	7729452	9486500	1757048
कुल (2017–18)			11708616	28700	11737316	14394400	2657084
व्यय वर्ष 2018–19; मजदूरी दर ₹ 254 (अप्रैल 2018 से) और ₹ 257 (अक्टूबर 2018 से) इसलिए, पूरे वर्ष के लिए औसत मजदूरी दर ₹ 255.50							
2015–16 (तृतीय वर्ष)	04 योजनाएँ	108000	8057448	18900	8076398	10010900	1934552
2016–17 (द्वितीय वर्ष)	06 ¹⁴⁸ योजनाएँ	101490	7571763	17761	7589524	9130687	1541163
कुल (2018–19)			15629211	36661	15665872	19141587	3475715
कुल योग (2017–18 और 2018–19)			27337827	65361	27403188	33535987	6132799

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि ₹ 274.03 लाख ही केवल कार्य के निष्पादित घटक (सुरक्षा कार्य, कोड़नी-निकोनी और सामग्री घटक) के लिए व्यय किया जाना था। हालाँकि प्रमण्डल ने संपोषण कार्य पर कुल ₹ 335.36 लाख का व्यय किया। इस प्रकार, पटवन के काम के निष्पादन के बिना, निर्धारित मजदूरी की राशि¹⁴⁹ को सुरक्षा कार्य और कोड़नी-निकोनी के लिए विचलित किया गया। परिणामस्वरूप संपोषण कार्यों के दूसरे और तीसरे वर्ष में ₹ 61.33 लाख रुपये का अधिक व्यय किया गया।

इसे इंगित किये जाने पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेगुसराय ने बताया (जुलाई 2019) कि अभिलेखों की जाँच के बाद जवाब दिया जाएगा।

3.2.8 कैम्पा निधि के उपयोग का अनुश्रवण

3.2.8.1 संचालन समिति की बैठक में कमी

राज्य कैम्पा के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य कैम्पा द्वारा जारी धन के उपयोग की प्रगति की निगरानी के लिए संचालन समिति छ: महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी एवं कार्यकारी समिति द्वारा तैयार वार्षिक कार्य योजना को अनुमोदित करेगी।

यह देखा गया कि वर्ष 2014–19 के दौरान आवश्यक दस बैठकों के विरुद्ध राज्य कैम्पा की संचालन समिति की केवल सात बैठकें हुईं। इसके अलावा, संचालन समिति की बैठकों

¹⁴⁶ (i) गुत्ता बांध थर्मल (ii) खगड़िया अलोली पथ (iii) रोहनी से महेशखुट

¹⁴⁷ (i) बुढ़ी गंडक बांध (ii) मुंगेर घाटसिरिया (iii) एनएच 31 मानसी से रोहनी (iv) एनएच31 पिथियजिया ढाला

¹⁴⁸ (i) एन.एच. 31 हरिनगर से सतीशनगर (ii) कटारमल से बिशुनपुर (iii) रेलवे रिटायर्ड बांध से पुरानी मानसी जंक्शन (iv) एनएच 31 भरत खंडरेल (v) रेलवे रिटायर्ड बांध से भरत खंड (vi) रेलवे रिटायर्ड बांध से मक्का कारखाना

¹⁴⁹ प्रत्येक 1000 पौधों पर 73 मजदूरों के दर पर

के कार्यवाही प्रतिवेदन (वार्षिक योजना) की जाँच से पता चला कि बैठकों के दौरान केवल प्रस्तावित योजनाओं पर चर्चा की गयी थी और उन्हें मंजूरी दी गयी थी। बैठकों में न तो पिछली योजनाओं की प्रगति और न ही योजनाओं के बैकलॉग की निगरानी की गयी थी। पिछली योजनाओं/योजनाओं के बैकलॉग की समीक्षा के अभाव में, कैम्पा निधि के उपयोग की पर्याप्त निगरानी सुनिश्चित नहीं की जा सकी। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा के दौरान वित्तीय भार, देयता का सृजन, निष्फल व्यय जैसे मामले देखे गये जैसा कि पूर्ववर्ती कंडिकाओं में वर्णित है।

इसे इंगित किए जाने पर नोडल पदाधिकारी, राज्य कैम्पा ने जवाब दिया कि निर्धारित समय अवधि के भीतर क्षतिपूरक योजनाओं के निष्पादन के संबंध में समिति में विस्तृत चर्चा की गई थी और कार्य के निष्पादन से संबंधित व्यय को वार्षिक योजना के एजेंडा नोट में संचालन समिति के पास रखा गया था। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निर्धारित समय अवधि के भीतर क्षतिपूरक योजनाओं के निष्पादन के बारे में कोई भी टिप्पणी बैठकों के कार्यवाही प्रतिवेदन में उल्लिखित नहीं की गयी थी।

3.2.8.2 अपर्याप्त संगामी अनुश्रवण

राज्य कैम्पा के दिशानिर्देश के अनुसार, राज्य कैम्पा के पास उपलब्ध धन का हर साल खर्च की जानेवाली राशि के दो प्रतिशत के दायरे में निगरानी और मूल्यांकन के लिए उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा, उपलब्ध धन का प्रभावी और उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्यों में लागू किए गए कार्यों के संगमी निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र प्रणाली विकसित और कार्यान्वित की जाएगी।

राज्य कैम्पा के अभिलेखों के नमूना जाँच में पाया गया कि वर्ष 2018–19¹⁵⁰ में केवल वर्ष 2014–15 और 2015–16 के लिए संगामी निगरानी और मूल्यांकन किया गया था। इससे ज्ञात होता है कि वार्षिक आधार पर कार्यों के संगमी निगरानी और मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र प्रणाली विकसित नहीं हो पायी थी। इसके परिणामस्वरूप, राज्य कैम्पा निधि के उपयोग का अनुश्रवण अपर्याप्त और अनुपयुक्त था।

3.2.9 निष्कर्ष

तदर्थ कैम्पा के साथ निधि के मिलान के अभाव में राज्य कैम्पा वार्षिक योजना को समयानुसार तैयार किए जाने को सुनिश्चित नहीं कर सका। वार्षिक योजना में निधि के अनुपयुक्त प्रावधान के कारण कार्यों के क्रियान्वयन में देरी हुई। बकाया क्षतिपूरक वन रोपण योजनाओं के कारण राज्य कैम्पा पर वित्तीय भार पड़ा। इसके अलावे उपयोगकर्ता एजेंसियों से निधि की माँग और वनीकरण हेतु वास्तविक आवश्यकता/निधि के उपयोग के बीच अनुरूपता नहीं थी क्योंकि उपयोगकर्ता एजेंसियों से अधिक राशि की माँग के दृष्टांत देखे गये। अपर्याप्त अनुश्रवण तंत्र ने निधि के अप्रभावी उपयोग कर अनियमित, निष्फल और अधिक व्यय में योगदान दिया।

¹⁵⁰ वर्ष 2014–15 और 2015–16 के लिए वन अनुसंधान केंद्र, इको-रिहैबिलिटेशन, प्रयागराज द्वारा संगमी निगरानी और मूल्यांकन वर्ष 2018–19 में किया गया था।

पथ निर्माण विभाग

3.3 परिहार्य व्यय

अभियंता प्रमुख द्वारा जारी अनुदेशों का उल्लंघन कर कार्यपालक अभियंता, मानपुर, गया (निकटतम खदान) के स्थान पर कोडरमा, झारखंड से स्टोन चिप्स को लाने की अनुमति देने के निर्णय के परिणामस्वरूप ₹2.73 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

अभियंता प्रमुख (प्र.अभि.) सह—अपर आयुक्त—सह विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग (प.नि.वि.), बिहार ने एक प्रावधान के साथ निकटतम खदान से ग्रेनुलर—सब—वेस और वेट—मिक्स—मैकेडम सामग्री की आपूर्ति के लिए स्वीकार्य और न्यूनतम लीड के संबंध में अनुदेश जारी किया कि यदि सामग्री आकलन में अनुमोदित लीड की तुलना में निकटतम लीड से उपलब्ध है, कटौतियाँ तदनुसार संवेदकारों के भुगतानों से की जानी चाहिए।

कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल-1 गया के अभिलेखों की संवीक्षा (सितम्बर 2018) में ज्ञात हुआ कि पथ निर्माण विभाग ने वर्ष 2015–16 के लिए 0.00 कि.मी. से सात कि.मी. से बेला—रामपुर—मुख्य रोड के निर्माण/संवर्द्धन (चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण) सह आउटपुट एवं निष्पादन आधारित पथ परिसम्पत्ति अनुरक्षण कार्य के लिए ₹14.52 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया (अगस्त 2015)। मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार विंग, प.नि.वि., पटना ने कार्य के लिए ₹14.75 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किया (अप्रैल 2017) तथा प्राक्कलन में स्टोन चिप्स के लिए दुलाई डोमचांच (कोडरमा), झारखंड से प्रदान किया गया। का.अभि., प.नि.वि.-1, गया ने कार्य के लिए निविदा आमंत्रित की (अगस्त 2015) और विभागीय निविदा समिति ने छां के माध्यम से सबसे कम बोली के पक्ष में अंतिम रूप दिया (अगस्त 2016)। का.अभि., प.नि.वि., गया का चयनित एजेन्सी के साथ समझौता हुआ (30 सितम्बर 2016)। कार्य पूर्ण किया गया (अक्टूबर 2017) और ₹10.44 करोड़ का भुगतान एजेन्सी को किया गया (दिसम्बर 2017)।

जिला खनन कार्यालय, गया से संग्रहित सूचना (दिसम्बर 2020) के अनुसार मानपुर खदान जो सिर्फ 38 कि.मी. दूर अवस्थित है, मई 2016 से चालू थी। तथापि, जैसा बताया गया, प्राक्कलन में कोडरमा, झारखंड अर्थात् 130 कि.मी. पर से स्टोन चिप्स के दुलाई के लिए लीड मानपुर खदान की उपेक्षा करते हुए प्रदान किया गया। इसलिए, मु.अभि. के निर्देशों के संदर्भ में प्राक्कलन में दिए अतिरिक्त लीड की कटौती की जानी चाहिए थी।

निकटतम खदान के लीड के उपलब्धता के मामले में संवेदक को भुगतानों से अतिरिक्त दुलाई की कटौती के संबंध में मु.अभि. के निर्देशों के गैर—अनुपालन के परिणामस्वरूप कार्यों पर ₹2.73 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ (**परिशिष्ट-3.3**)।

इंगित किए जाने पर, विभाग ने कहा (जुलाई 2020) कि पथर गया के खदानों में फरवरी तक उपलब्ध नहीं था। हालाँकि, यह मार्च 2017 से सीमित मात्रा में गया में उपलब्ध था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खनन विभाग ने फरवरी और मार्च 2016 के दौरान गया के खदानों के लिए प्रतिष्ठानों के साथ पट्टा अनुबंध किया और प्रतिष्ठानों ने अप्रैल 2016 से संचालन और विभाग को रॉयल्टी जमा करना शुरू किया। यह उल्लेख करना भी उचित है कि दूसरे पथ के निर्माण के लिए अनुबंध 5 अक्टूबर 2016 को किया गया जिसमें

मानपुर (गया) से लीड का प्रावधान था (उपर्युक्त कार्य के पाँच दिन बाद जहाँ लीड खदान कोडरमा, झारखण्ड से प्रावधान किया गया था)। इसलिए, का. अभि. को इस तथ्य की पूरी जानकारी थी कि मानपुर (गया) खदान चालू थी।

इस प्रकार, अभियंता प्रमुख द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन कर निकटतम खदान के बजाय कोडरमा, झारखण्ड से पत्थर के चिप्स के ढुलाई की अनुमति देने के का.अभि. और अ.अभि. के निर्णय के परिणामस्वरूप ₹2.73 करोड़ का पत्थर के चिप्स की ढुलाई पर परिहार्य व्यय हुआ।

पटना
दिनांक 10 जुलाई, 2021

(रामावतार शर्मा)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), विहार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 14 जुलाई, 2021

(गिरीश चन्द्र मुर्मु)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

